



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Fax / Handwritten

फाइल: 20/3/जेएच-1/08/आरयू -3

सेवा में

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
रांची

2. सचिव

अनुसूचित जनजाति विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार,
रांची

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 16/8/2013

3. प्रधान सचिव,

मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार,
रांची

विषय: 1. झारखण्ड राज्य में आयोग द्वारा दिनांक 25 से 30 अप्रैल 2011 को अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों, आरक्षण नीति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा।
2. झारखण्ड राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 पर डॉ रामेश्वर उर्रेण, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 19/10/2012 को ली गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया आयोग द्वारा उपरोक्त विषय पर ली गयी बैठक के कार्यवृत्त कि रिपोर्ट सलग्न कर आपको सुलभ संदर्भ के लिए भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ रामेश्वर उर्रेण, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपसे तथा संबन्धित अधिकारियों से चर्चा में हुई बात-चीत तथा मुद्दों पर की गई कार्यवाही के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तथा आयोग ने 30/08/2013 को ~~आपसे~~ बैठक सुनिश्चित कि है अतः आप आयोग में व्यक्तिगत रूप से चर्चा में उपस्थित होने का कष्ट करें।

कृपया मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग को दिनांक 26/08/2013 तक भिजवाने का कष्ट करें ताकि बैठक में चर्चा उपरोक्त तिथि पर कि जा सके।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य ^{बाल} शिक्षा अधिकार 2009 पर आयोग में हुई बैठक के कार्यवृत्त पर भी रुक तिथि को चर्चा करेंगे।

भवदीय

के.डी. बंसौर
(के.डी. बंसौर)

उपनिदेशक

प्रतिलिपि:- अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को
अनुवर्ती कारवाई हेतु।

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

Handwritten signature

4652-54
19/8/13
जाती किया
ISSUED